

कार्यालय
28/1/15

राजस्थान सरकार



कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ, टोंक

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ...106...../टोंक/20.14....-2015.

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय विकास संव -

प्रबन्धन समिति स्वामी विवेकानन्द राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण
राजकीय माडल स्कूल निवाड़ी
अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक..... 28/1/15 माह जनवरी सन दो हजार पन्ध्र को दिया
गया है।



रजिस्ट्रार संस्थाएँ
(टोंक टोंक)

अध्यक्ष
विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति
स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल
निवाड़ी टोंक